


श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर, कम्प इंदौर

सि.ग - 2048-PS/216



1. कमलाबाई बेवा भोलाराम वर्मा
 2. उमाशंकर पिता स्व. भोलाराम वर्मा
 3. रविशंकर पिता स्व. भोलाराम वर्मा
 4. राजेन्द्र पिता स्व. भोलाराम वर्मा
 5. संजय पिता स्व. भोलाराम वर्मा
- निवासीगण 306 बडी ग्वाल टोली इंदौर

—प्रार्थीगण

विरुद्ध

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ~~शिवानन्द मिश्रा~~
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 02.06.2016
को प्रस्तुत। ✓

1. शंकर पिता सुखराम
 2. हुकुमचंद पिता सुखराम
 3. राजाराम पिता सुखराम
 4. शिवप्रसाद पिता सुखराम
 5. कलाबाई पिता सुखराम
- निवासी गीता नगर पिपल्याहाना इंदौर
6. गीता नगर इंदौर गृह निर्माण सह.संस्था मर्या इंदौर
तर्फे राजेश कुमार पिता रमेशचन्द्र
कार्या 25 शिवविलास पैलेस, इंदौर
निवासी 2/9 यशवंत निवास रोड इंदौर

425/02-06-2016

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

— प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी आवेदन पत्र धारा 51 म.प्र.भु.रा.संहिता 1959 के तहत

महोदय

प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से विनम्र प्रार्थना है कि -

1. निगरानीकर्ता ने माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार की अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को समुचित अवसर देते हुए प्रकरण को गुण दोष के आधार पर निपटावे इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण माननीय अपर कलेक्टर महोदय श्री दिपकसिंह जिला इंदौर के समक्ष गुण दोष के आधार पर न्याय निर्णय हेतु प्रत्यावर्तित हुआ। ^{सि} ~~राजस्व मण्डल~~ उ. 2107/121/15-16
दिए गए दिनांक 29-2-2016 के कार्यालय नंबर
आनन्द 02 इंदौर प्रस्तुत है।

.....2 पर

कमलाबाई

रविशंकर उमाशंकर वर्मा

राजेश कुमार

संजय वर्मा

164

137

करना / शिका
2-2018-1/16 अर्थात्

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
16-8-2016	<p>आवेदकगण को ओर से सूचना उपरोक्त कोई भी उपस्थित नहीं। तीन बार पुकार लगावाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रमाण असम पेंची में निरस्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p>	

अध्यक्ष